भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

https://cag.gov.in

विषय सूची

प्राक्कथन		vii
कार्यपालिक सारांश		ix
अध्याय I: विहंगावलोकन		
अनुच्छेद संख्या		**पृष्ठ संख्या**
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	3
1.3	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	4
1.3.1	वित्तीय स्थिति का सारांश	7
1.3.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश	8
1.4	राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	9
1.4.1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	15
1.5	लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण	16
1.5.1	लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा	16
1.5.2	लेखापरीक्षा के पश्चात-समग्र देयता	17
अध्याय II: राज्य का वित्त		
2.1	वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव	19
2.2	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	20
2.3	राज्य के संसाधन	21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	23
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ और वृद्धि	23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	31
2.3.3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	37
2.3.4	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	38
2.4	संसाधनों का अनुप्रयोग	38
2.4.1	व्यय की वृद्धि एवं संरचना	38
2.4.2	राजस्व व्यय	41
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	42
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	43
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व	47
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य	48
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	50

विषय सूची

2.4.3	पूंजीगत व्यय	52
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	52
2.4.3.2	पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता	53
2.4.3.3	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	55
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	56
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय	57
2.5	लोक लेखा	58
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	58
2.5.2	आरक्षित निधियां	60
2.5.2.1	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	61
2.5.2.2	प्रत्याभूति मोचन निधि	63
2.5.2.3	उपकर/अधिभार का संग्रहण	63
2.6	लोक देयता का प्रबंधन	64
2.6.1	देयता रुपरेखाः घटक	65
2.6.2	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और पुनर्भुगतान	69
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	71
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियां	76
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	77
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	78
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	81
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
3.1	बजट प्रक्रिया	83
3.1.1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का सारांश	85
3.1.2	बचतों एवं संवितरणों का सारांश	86
3.1.3	बजट लक्ष्यवेधित्व	87
3.2	विनियोग लेखे	87
3.3	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता	88
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	88
3.3.2	निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन	89
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	90
3.3.4	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण	94
3.4	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	95
3.4.1	बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	95
3.4.2	प्रमुख योजनाओं का गैर-क्रियान्वयन	98
3.4.3	व्यय का प्रवाह	99

विषय सूची

3.4.4	जेंडर अनुकूल बजट	101
3.4.5	चाइल्ड बजट	102
3.4.6	चयनित अनुदानों की समीक्षा	104
3.4.7	लेखों में अन्य अनियमितताएँ	118
3.5	प्रशंसनीय कदम	123
3.6	निष्कर्ष	123
3.7	सिफारिशें	123
अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथायें		
4.1	ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना	125
4.2	राज्य सरकार की बजट से इतर उधार	126
4.3	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण	127
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	128
4.4.1	अनुदानग्राही संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज किये जाने की सूचना का अभाव	130
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	131
4.6	निजी निक्षेप खाते	132
4.7	लघु शीर्ष-800 का संचालन	138
4.8	प्रमुख उचंत और डीडीआर शीर्षों के तहत बकाया शेष	140
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	142
4.10	नकद शेषों का मिलान	143
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	143
4.12	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	144
4.13	स्वायत्त निकायों के लेखों/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	145
4.14	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	146
4.15	छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन	146
4.16	निष्कर्ष	149
4.17	सिफारिशें	149
अध्याय-V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
5.1	प्रस्तावना	151
5.2	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	151
5.3	अधिदेश	151
5.4	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या और वित्तीय विवरणों की स्थिति	152
5.5	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और राज्य के सकल राज्य घरेलु उत्पाद में योगदान	153
5.5.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	154
5.6	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	154
5.6.1	सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	154

विषय सूची

5.6.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	155
5.7	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनर्गठन, विनिवेश और निजीकरण	157
5.8	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए बकाया ऋणों का विश्लेषण	157
5.8.1	31 मार्च 2023 को बकाया दीर्घावधि ऋण	157
5.8.2	ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	157
5.9	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्रतिफल	158
5.9.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ	158
5.10	हानियों में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	160
5.10.1	दर्ज हानियां	160
5.10.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल संपत्ति का क्षरण	161
5.11	निवल लाभ/हानि अनुपात	163
5.11.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान	163
5.12	ऋण भुगतान	165
5.12.1	ब्याज का आवृत	165
5.13	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन	166
5.13.1	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	166
5.13.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अंश पूंजी पर प्रतिफल	167
5.13.3	निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर	169
5.14	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	170
5.14.1	सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	170
5.14.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	171
5.14.2.1	समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता	171
5.14.2.2	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता	171
5.14.3	सीएजी का निरीक्षण- वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	172
5.14.3.1	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	172
5.14.3.2	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	173
5.14.3.3	सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	173
5.15	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	173
5.15.1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा	173
5.15.2	वित्तीय विवरणों का संशोधन	174
5.15.3	लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का संशोधन	174
5.15.4	प्रबंधन पत्र	174
5.16	निष्कर्ष	174
5.17	सिफारिशें	175

अनुलग्नक		
परिशिष्ट-1.1	राज्य के प्रमुख संकेतक	177
परिशिष्ट-1.2	राज्य के वित्तीय आंकड़े	178
परिशिष्ट-1.3	31 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	179
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	181
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार की वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	184
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	187
परिशिष्ट-3.1	बजट संबंधित शब्दों की शब्दावली	188
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	191
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	193
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	195
परिशिष्ट-3.5	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 1 करोड़ या अधिक का पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रह गया	196
परिशिष्ट-3.6	ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	211
परिशिष्ट-3.7	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	214
परिशिष्ट-3.8	जेंडर बजट की योजनाओं में कोई व्यय नहीं होना	218
परिशिष्ट-3.9	वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत शीर्षों के तहत अनियमित बुकिंग	221
परिशिष्ट-4.1	राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ	222
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2022-23 तक के बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	224
परिशिष्ट-4.3	31 मार्च 2023 को निजी निक्षेप खातों में शेष राशि (₹ 100 करोड़ से अधिक) दर्शाने वाला विवरण	225
परिशिष्ट-4.4	वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संधारित निजी निक्षेप खातों में "शून्य" शेष रखने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	226
परिशिष्ट-4.5	वर्ष 2021-2023 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	229
परिशिष्ट-4.6	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	233
परिशिष्ट-4.7	उपयुक्त लघु शीर्ष के प्रावधान में अनियमितताएं	235
परिशिष्ट-4.8	विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण	238
परिशिष्ट-5.1	सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सूची और 30 सितंबर 2023 तक उनके वार्षिक लेखों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	239
परिशिष्ट-5.2	30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति और कार्यात्मक परिणाम	243
परिशिष्ट-5.3	31 मार्च 2023 तक ऋणात्मक निवल मूल्य वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण	247
परिशिष्ट-5.4	31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) का विवरण	249

अनुलग्नक		
परिशिष्ट-5.5	31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल दर्शाने वाला विवरण जिसमें राज्य सरकार का प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश है	251
परिशिष्ट-5.6	वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ निवेश का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	253
परिशिष्ट-5.7	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची दर्शाने वाला विवरण जहां प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे	255
परिशिष्ट-5.8	संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	256